



73

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राज0
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.
159/2021

तारीख दायर
10/12/2021

तारीख फैसला
21/04/2025

1. सत्यनारायण पुत्र भोरिया जाति माली निवी ग्राम जमवारामगढ़ तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1. गोपाल पुत्र भोरिया
 2. जगदीश नारायण पुत्र भोरिया
 3. भगवती पत्नि महादेव
 4. कमला पुत्री महादेव
 5. गंगा पुत्री महादेव
 6. माया पुत्री महादेव
 7. विमला पुत्री महादेव
 8. संतोष पुत्र महादेव
 9. रूकमणी देवी पत्नि राधेश्याम
 10. घनश्याम पुत्र राधेश्याम
 11. दीपक पुत्र राधेश्याम
 12. ममता पुत्र राधेश्याम
 13. मन्जू पुत्री राधेश्याम
- समस्त जाति माली निवासी ग्राम जमवारामगढ़ तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।
14. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ़, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान।
 15. उप पंजीयक जमवारामगढ़, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर, राजस्थान।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक


श्री किशनलाल :- वकील वादीगण।

श्री रामकरण शर्मा :- वकील प्रतिवादी सं0 3 लगायत 8

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-53, 188 आर0टी0एक्ट

—: निर्णय :-

वादीगण की ओर से एड0 श्री किशनलाल ने यह वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 19 रकबा 0.0100है0 व खसरा नम्बर 20 रकबा 0.5900है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.6000है0 स्थित ग्राम नयाबास, पटवार हल्का जमवारामगढ़, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सहखातेदार है। जिसे आगे उक्त वादपत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति कहा गया है। जिसका विधिक तकासमा नही कराया गया है। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति का सरस-नरस के अनुसार हक व हिस्से


उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

तथा कब्जाकाशत को मध्य नजर रखते हुये तकासमा कर वादी का राजस्व रिकार्ड व लगान अलग अलग कायम किया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 28.03.2024 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जमवारामगढ ने कुर्रैजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील उभय पक्षों ने प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट पर सहमति दी।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काशतकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम नयाबास, पटवार हल्का जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

—: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :-

वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है०	किस्म	लगान
कमला पुत्री महादेव प्रसाद हि० 1103/25400 जाति माली सा० जमवारामगढ खातेदार, गंगा पुत्री महादेव प्रसाद हि० 1103/35400 जाति माली सा० जमवारामगढ खातेदार, गोपाल लाल पुत्र भौरिया, जगदीश नारायण पुत्र भौरिया हि० 1257/5900 जाति माली सा० जमवारामगढ खातेदार, भगवती देवी पत्नि स्व० महादेव प्रसाद हि० 1103/35400 जाति माली सा० जमवारामगढ, राधेश्याम पुत्र भोरया हि० 1/5 जाति माली सा० जमवारामगढ खातेदार, विमला पुत्र महादेव प्रसाद हि० 1103/35400 जाति माली सा० देह खातेदार, सत्यनारायण पुत्र भौरिया हि० 1/5 जाति माली सा० जमवारामगढ खातेदार, संतोष पुत्र महादेव प्रसाद हि० 1103/35400 जाति माली सा० जमवारामगढ खातेदार।	19 20	0.01 0.59	गै.मु.चाह चाही 3	—
योग	किता 2	0.60	—	—

—: प्रस्तावित :-

प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है०	किस्म	लगान
सत्यनारायण पुत्र भौरिया हि० पूर्ण जाति माली सा० जमवारामगढ खातेदार।	20/3 20/1	0.0220 0.0960	चाही 3 चाही 3	—
योग	किता 2	0.1180	—	—
कमला पुत्र महादेव प्रसाद हि० 1103/28320 जाति माली सा० जमवारामगढ, खातेदार, गंगा पुत्री महादेव प्रसाद हि० 1103/28320 जाति माली सा० जमवारामगढ खातेदार, गोपाललाल पुत्र भौरया हि० 1/4 जाति माली सा० देह जमवारामगढ खातेदार, जगदीश पुत्र भौरया हि० 1257/4720 जाति माली सा० जमवारामगढ खातेदार, भगवती देवी पत्नि स्व०	20/2	0.4720	चाही 3	—

महादेव प्रसाद हि० 1103/28320 जाति माली सा० देह खातेदार, माया पुत्री महादेव हिस्सा 1103/28320 जाति माली सा० जमवारमगढ खातेदार, राधेश्याम पुत्र भौरया हि० 1/4 जाति माली सा० जमवारमगढ खातेदार, विकला पुत्री महादेव प्रसाद हि० 1103/28320 जाति माली सा० खातेदार, सन्तोष पुत्र महादेव प्रसाद हि० 1103/28320 जाति माली सा० जमवारमगढ खातेदार।				
	योग	किता 1	0.4720	-
3	शामलाती		19	0.01
	योग	किता 1	0.01	गै.मु.चाह
				-

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग-अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 21/04/2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 उपखण्ड अधिकारी
 जमवारमगढ जिला-जगपुर